बिहार सरकार

कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना नालन्दा

संवेदक चयन हेतु निविदा आमंत्रण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नालन्दा जिलान्तर्गत 06 प्रखंडों यथा– करायपरशुराय, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, इसलामपुर एंव एकंगरसराय प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न प्रखंड गोदाम से उठाव कर विद्यालयों में पहुँचाने हेतु वर्ष 2015–16 के लिए संवेदक चयन हेतु दिनांक 29.06.2015 तक निविदा आंमत्रित की जाती है। चयन हेतु एकरारनामा की शर्तें निम्नांकित होगी।

1. आवेदक को 15 पंचायत तक के प्रखंड–करायपरशुराय, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, के लिए 05 (पॉच) मालवाहक गाड़ी तथा 15 पंचायत से अधिक प्रखंड यथा–इसलामपुर एवं एकंगरसराय के लिए 08 मालवाहक गाड़ी के मालिकों का लिखित एकरारनामा 100 रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक को संवेदक के रूप में चयन होने की स्थिति में वाहन मालिक अपना गाड़ी को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाधान उठाव हेतु आवश्यकतानुसार उपलबध कराएँगें ।
2. वाहन में ट्रक, ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ, पिक–अप भान, जीप, टाटा मैजिक आदि मालवाहक गाड़ी का एकरारनामा कराया जा सकता है। आवेदक व्यावसायिक वाहनों का ही एकरारनामा करायेंगे।
3. एकरारनामा किये गये वाहन का टैक्स टोकन, बीमा, फिटनेस ,प्रदूषण तथा परमिट अद्यतन होना अनिवार्य है तथा सभी वाहन राज्य परमिट का होना अनिवार्य है।
4. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपना PAN CARD एवं VOTER ID CARD अथवा Aadhar Card संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अंदर निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 10,000/– (दस हजार) रूपये का अग्रिम सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्रापट के रूप में जमा करना होगा, जो मध्याह्न भोजन योजना समिति, नालन्दा के नाम से देय होगा।
7. संवेदक के रूप में चयन होने के पश्चात् 50000/–(पचास हजार) रूपये का बैंक गारन्टी मध्याह्न भोजन योजना समिति, नालन्दा के पक्ष में जमा करना होगा ।
8. समय पर कार्य करने में असफल होने अथवा असंतोषजनक कार्य होने पर संवेदक की सुरक्षित जमा राशि 10,000/–(दस हजार) रूपये जब्त कर ली जाएगी एवं काली सूची में भी नाम डाल दिया जायेगा।
9. सभी 06 प्रखंडों के लिए अलग–अलग संवेदक चयन किये जाऍगे। फलतः एक आवेदक एक से अधिक प्रखंड के लिए सभी वांछित कागजात एवं बैंक ड्राफट के साथ आवेदन कर सकते हैं परन्तु उनका चयन एक ही प्रखंड के लिए होगा।

10. राज्य खाद्यय निगम के गोदाम से निर्धारित मात्रा में चावल का उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाऐगी। विद्यालयों में खाद्यान्न पहुँचाने के बाद प्रधानाध्यापक की प्राप्ति रसीद के आधार पर प्रखंड की समेकित सूची बनेगी, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, नालन्दा संतुष्ट होने के उपरान्त परिवहन–सह–हथालन मद में 40/– रू० प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा ।

11. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे।

12. राज्य खाद्यय निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुघर्टना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।

13 संवेदक को उठाव के दिन उठाए गए खाद्यान्न एवं वितरण की सूचना SMS या दूरभाष के माध्यम से जिला कार्यालय को सूचित करना होगा।

14. संवेदक को राज्य खाद्यय निगम के संबंधित प्रखंड स्थित उप गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर उसी दिन विद्यालय में पहुँचाना होगा तथा किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न का भंडारण नहीं करना होगा।

15. एकरारनामा चयन की तिथि से 31.03.2016 तक के लिए किया जाएगा। संवेदक को असफल होने या उठाव में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

16. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 29.06.2015 है।

17. निविदा मुहरबंद लिफाफा में निबंधित डाक के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पुरानी पोस्ट ऑफिस भवन, कमरूद्दीनगंज, बिहारशरीफ (नालन्दा) पिन कोड 803101 दूरभाष संख्या 06112–231447 के पते पर कार्यालय में प्राप्त किये जाऐंगे।

18. निविदा जिला पदाधिकारी नालन्दा की अध्यक्षता में गठित चयन–सह–अवधि विस्तार समिति, मध्याह्न भोजन योजना नालन्दा की बैठक में 30.06.2015 को दोपहर 12.00 बजे से खोला जाएगा। निविदा खुलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

19.. निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार चयन–सह–अवधि विस्तार समिति, मध्याह्न भोजन योजना नालन्दा को सुरक्षित रहेगा ।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना, नालन्दा	जिला शिक्षा पदाधिकारी नालन्दा	जिला पदाधिकारी नालन्दा